बैंकर्स को निर्देश दिए कि शासन द्वारा संचालित एनआरएलएम योजना सहित सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य की घोषणा के सापेक्ष कृषियोजनाओं एवं कार्यक्रमों में अधिकाधिक ऋण प्रवाहित कर लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना योगदान दें–जिलाधिकारी रमाकान्त पाण्डेय

बिजनौर 23 दिसम्बर, 2020:– जिलाधिकारी रमाकान्त पाण्डेय ने निर्देश दिए कि शासन द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अधिक से अधिक समूहों का गठन कर पात्र लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बैंकर्स को निर्देश दिए कि शासन द्वारा संचालित एनआरएलएम योजना सहित सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें और बेरोजगारी की दर में कमी लाई जा सके। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य की घोषणा की थी जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार और कई राज्य सरकारों ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिऐ विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। उन्होने समस्त बैंकर्स से कहा कि शीघ्र कृषि के उपरोक्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अधिकाधिक ऋण प्रवाहित कर चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना योगदान दे, जिससे की भारत सरकार की इस योजना में तय समय–सीमा में किसानों की आय दोगुनी करने में सहयोग किया जा सके।

जिलाधिकारी श्री पाण्डेय आज शाम 3:30 बजे विकास भवन के सभागार में डीएलआरसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे।

उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की समीक्षा करते हुए पाया कि उक्त योजना में माह नवम्बर 2020 तक कुल 8908 समूहों का गठन किया जा चुका है, जिसमें 6135 समूहों के खाते विभिन्न बैकों में खोले जा चुके हैं तथा 1567 खातों का केडिट लिकेंज किया जा चुका है तथा नवम्बर 2020 तक 4109 समूहों को रिवॉल्विंग का वितरण किया गया। जिलाधिकारी ने समस्त बैकर्स को निर्देश देते हुए कहा कि जिन बैकों में महिला समूहो के खाते नहीं खोले जा रहे हैं वे बैंक खाते खोलना सुनिश्चित करें और जिन बैंकों में महिला समूहों के लोन लम्बित पड़े है, वे भी यह सुनिश्चित करे कि महिला समूहों के ऋण में किसी प्रकार का विलम्ब न होने पाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अक्टूबर 2020 तक 22969 लाभार्थियों को जनपद के बैकों द्वारा रूपये 154.07 करोड का ऋण स्वीकृत एवं 122.57 करोड वितरित किया गया।

जिलाधिकारी श्री पाण्डेय ने समस्त बैकर्स को निर्देश देते हुए कहा कि बैको द्वारा सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना में ऋण देने में लापरवाही बरती जा रही है, समस्त बैकर्स यह ध्यान दे की सरकार गरीबों के लिए जो योजनाऐ चला रही है उनमें बैको की भागेदारी भी महत्वपूर्ण है, इस लिए बैकर्स सरकारी योजनाओं के ऋणो कि फाइलों को पूरी गुणवत्ता के आधार पर पास करना सुनिश्चित करे और महिला समूहों के बैक खाते व उनकी लोन फाइलों को भी गंभीरता से ले। बैठक में जिलाधिकारी ने स्टैण्ड अप इण्डिया, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, अल्पसंख्यकों का ऋण और सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में उपलब्धि की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारीयों को निर्देश दिये कि बैको में गरीबों के लिये जो योजनाऐ चलाई जा आ रही है उनका पूरी तरह पालन किया जाये और गरीबों को उनके रोजगार व सहायता के लिए जो प्रकरण लम्बित है, उनका पूरी गुणवत्ता के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कामता प्रसाद सिंह, जिला अग्रणी बैक प्रबंधक, डी0सी एनआरएलएम, जिला कृषि अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, समस्त बैकर्स, संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

पंजाब नेशनल बैंक
जिला स्तरीय समीक्षा समिति
की बैठक